



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012-अग्रहायण 9, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, SAROJINI MISHRA W/o Girija Prasad, Age about 58 years, doing business and R/o House No. 357, Opposite Mahila ITI, Neem Chouraha, Boda Bagh, District Rewa has change my name and hence-forth I, shall be known as SAROJINI (To), SAROJINI MISHRA in future.

Old Name :

(SAROJINI)

New Name :

(SAROJINI MISHRA)

Address—House No. 357,
Opposite Mahila ITI, Neem Chouraha,
Boda Bagh, District Rewa-486001 (M.P.).

(208-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निशा (निर्मला) मोटवानी पिता श्री परमानन्द मोटवानी, निवासी 13/127 बी, चार बाग, शाहगंज, आगरा दिनांक 09 दिसम्बर, 2009 (शादी उपरांत) से पूजा दामानी पत्नि श्री विजय दामानी, निवासी-F-7/5, बैरागढ़, भोपाल (मध्यप्रदेश) के नाम से जानी जा रही हूं तथा आगे भी इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(निशा (निर्मला) मोटवानी)

(209-बी.)

नया नाम :

(पूजा दामानी)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“ श्रीमती विजयलक्ष्मी बोहरा पारमार्थिक न्यास ” कार्यालय 575/6, एम. जी. रोड, सहगल कॉलोनी, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री पारस बोहरा पिता कांतिलाल, निवासी—575/6, एम. जी. रोड, सहगल कॉलोनी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“ श्रीमती विजयलक्ष्मी बोहरा पारमार्थिक न्यास ”.
पता :	575/6, एम. जी. रोड, सहगल कॉलोनी, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	रुपये 1,01,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख एक हजार मात्र).

आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(555)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“ सिताराम श्रीनारायण अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट ” कार्यालय—85, जानकी नगर, इंदौर की ओर से आवेदक श्री मनीष एवं श्री रूपेश पिता राजाबाबु अग्रवाल, पता—85, जानकी नगर, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : "सिताराम श्रीनारायण अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट".

पता : 85, जानकी नगर, इंदौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(555-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नटेरन, जिला विदिशा

प्र. क्र. 02/बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक श्री लखनदास पुत्र श्री मिश्रीदास, नि. ग्राम हिनौतियामाली, तहसील शमशाबाद द्वारा श्री रामजानकी मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट ग्राम हिनौतियामाली, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक एवं अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता : श्री मंदिर रामजानकी ट्रस्ट, ग्राम हिनौतियामाली, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा.

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण : ग्राम हिनौतियामाली स्थित आ. क्र. 46, 339, 462, 494, 509, 510, 568 कुल किता 7, कुल रकबा 4.066 हैक्टर अचल सम्पत्ति.

आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया है.

एच. सी. शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(556)

वन संबंधी घोष-विक्रय**इमारती, जलाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बांस परिवहन समूहों हेतु निविदा/नीलाम की सूचना**

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न परिवहन समूहों से संबंधित काष्ठागारों एवं बांसागारों में इमारती, जलाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बांस के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदाएं निर्धारित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपराह्न 2.00 बजे दिन तक काष्ठागार बैतूल के नीलाम हाल में निम्नानुसार दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं. प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के सामने काष्ठागार बैतूल के नीलाम हाल में खोली जावेंगी:-

प्रथम दौर निविदा	द्वितीय दौर निविदा	तृतीय दौर निविदा	तृतीय दौर निविदा
दिनांक/दिन	दिनांक/दिन	दिनांक/दिन	उपरांत नीलाम दिनांक/दिन
19-11-2012	26-11-2012	03-12-2012	03-12-2012
सोमवार	सोमवार	सोमवार	सोमवार

तृतीय दौर के पश्चात् शेष बचे समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 सोमवार को अपराह्न 4.00 बजे से किया जायेगा। जिसमें सत्यंकार की राशि के रूप में रु. 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपॉजिट एट काल के रूप में लिये जायेंगे।

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फॉर्म), निविदा शर्तें एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमण्डलाधिकारी, उत्पादन वनमण्डल कार्यालय, बैतूल से रु. 100.00 (एक सौ) की अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकेगी।

(558)

कमलेश चतुर्वेदी,
मुख्य वनसंरक्षक,
बैतूल, वन वृत्त बैतूल।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला विदिशा/रायसेन

विदिशा, दिनांक 22 नवम्बर, 2012

क्र./2633/नग्रानि/अधिसूचना/2012.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 624, दिनांक 5 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत मंडीदीप निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किया गया था, जिसकी सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) क्रमांक 927 में दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 को प्रकाशित की गई थी।

तत्समय अंगीकृत किये गये वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र में ग्राम दीप के खसरा क्रमांक 16, 166/1, 166/2, 167/3, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1/2, 169/2, 169/1/2, 170, 171/1, 171/2/1, 171/2/2, 171/3, 172, 173/1, 173/2, 174/1/1 क, 174/2 ख, 174/2, 174/2/क, 174/1/1ख, 174/1/2, 174/1/3, 175/1, 175/2, 176, 177, 426 तथा 427 का भूमि उपयोग त्रुटि वश सम्मिलित नहीं हो पाया था।

अतः उक्त त्रुटि का सुधार करने हेतु एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंडीदीप निवेश क्षेत्र के ग्राम दीप के उक्त खसरा क्रमांकों का वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति

1. कलेक्टर, कार्यालय जिला रायसेन।
2. कार्यालय मुख्य नगरपालिका परिषद, मंडीदीप, जिला रायसेन।
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, विदिशा के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।



यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय नगरपालिका परिषद, मंडीदीप या नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय विदिशा में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

(574)

आर. सी. सेन,
सहायक संचालक।

कार्यालय वनसंरक्षक, सामान्य वनमण्डल, डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 1 नवम्बर, 2012

क्र./593.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र शाहपुर के अन्तर्गत श्री एस. के. नामदेव, परिक्षेत्र सहायक शाहपुर एवं श्री गोपाल मार्को वनरक्षक से क्रमशः हैमर नं.  एवं  वनक्षेत्र के भ्रमण के दौरान कहीं गिर गया है। उक्त हैमर किसी

व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो उसे थाने में अथवा नजदीकी वन कार्यालय में जमा करें। उक्त हैमर का अनाधिकृत रूप से उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

(557)

एल. पी. तिवारी,
वनसंरक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम- 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्व परिसमापक के स्थान पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2010/1100 ग्वालियर, दिनांक 29 जून, 2010 से परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1	2	3	4
1.	रामकृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	95/25-11-1981	1610/25-08-2009
2.	बसंत बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	59/07-07-1975	334/13-02-1998
3.	बैंकर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	177/08-01-1991	1030/31-05-1997
4.	पं. गौरीशंकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	129/30-10-1986	633/11-03-2002
5.	रचना नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	75/03-08-1977	2493/14-09-1994
6.	साईनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	214/25-04-1994	117/14-07-1999
7.	चेतक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	49/20-09-1972	1538/25-07-2008
8.	नवयुवक श्रमिक सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर (रीजनल प्रेस, ग्वालियर)	97/09-06-1961	976/07-04-2005

अतः मैं, मुकेश कुमार सिंघल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के एक माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जीवाजी चौक, बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा, यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों/पदाधिकारियों एवं किन्हीं व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें/रिकॉर्ड, रोकड़ व अन्य सामान या दस्तावेज/अभिलेख हों तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करावें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिलती है या सिद्ध होती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी की जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति, संस्था की होगी. पुनः यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक, नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 8 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. के. सिंघल,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2366.—माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./404, दिनांक 29 मार्च, 2008 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री, सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1976, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक. में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जगमोहन सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(560)

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2367.—ग्वालियर बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./72, दिनांक 2 जून, 1989 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री, सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1899, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक. में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्वालियर बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. एन. त्रिपाठी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(560-A)

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2368.— श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./71, दिनांक 22 अगस्त, 1978 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री, सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1902, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक. में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था

मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मदन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(560-B)

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2369.—कृषि महाविद्यालय प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./361, दिनांक 30 अक्टूबर, 1977 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री, सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1898, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक. में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि महाविद्यालय प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गिरीश जैन, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(560-C)

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2370.—छत्रसाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./906, दिनांक 22 मार्च, 2001 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री, सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है।
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है।
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1900, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी। जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक. में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ। इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्रसाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(560-D)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार

धार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1753.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. साकल्दा, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत होकर सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 15 जुलाई, 1996 है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क(1) में प्रावधान है कि कोई सोसाइटी जिन प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो वह उसके प्रमुख संप्रवर्तक, संचालक मंडल और सोसाइटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा।

कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2012/1583, धार, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया था कि संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से पंजीकृत उपविधि के उद्देश्यों/प्रयोजनों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया और न ही व्यवसाय किया गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन क्यों न निरस्त कर दिया जावे। इस संबंध में दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को उपस्थित होकर पक्ष समर्थन एवं जवाब हेतु अवसर दिया गया था, किन्तु अध्यक्ष/संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब, दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर पक्ष समर्थन नहीं किया। जिससे स्पष्ट होता कि संस्था को अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने में कोई रुचि नहीं है। संस्था की गत अंकेक्षण टीपों के अनुसार भी कोई कार्य होना प्रमाणित नहीं होता है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार द्वारा भी संस्था में कोई कार्य नहीं होने से पंजीयन समाप्त करने की अनुशंसा की है। इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिये मेरी राय में संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अन्तर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. साकल्दा, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा धारा-18-ए/क (2) के अन्तर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, सहकारी निरीक्षक, धार को शासकीय समनुदेशिती नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

भंवर मकवाना,
उप-रजिस्ट्रार.

(561)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि/10/1277.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/1164, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवापुर	1093/27-07-1984	1164/28-11-2011
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्कापुर	1092/27-07-1984	1164/28-11-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामनेर	1519/29-09-2008	1164/28-11-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिचोलीढाना	937/20-11-1978	1164/28-11-2011
5.	हरिओम मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कौड़ीढाना	1427/31-01-2000	1164/28-11-2011
6.	वि.शा.उ.मा.वि. सहकारी भंडार मर्या., भैंसदेही	755/07-11-1963	1164/28-11-2011
7.	मिलन-सिलाई सहकारी उद्योग मर्या., घोघाम	1428/03-11-2000	1164/28-11-2011
8.	ताप्ती परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1537/26-08-2006	1164/28-11-2011
9.	जिला मत्स्य विप. संघ सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1532/06-06-2006	1164/28-11-2011
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदा	1575/07-01-2008	1164/28-11-2011

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड-स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, युवराज ठाकरे, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

युवराज ठाकरे,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(562)

बैतूल, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि/10/1284.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/1161, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चूरनी	1501/15-02-2005	1161/28-11-2011

1	2	3	4
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आलमगढ़	1573/5-01-2008	1161/28-11-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवनगर	1527/24-01-2006	1161/28-11-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ढाना	1574/05-01-2008	1161/28-11-2011
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ला	1509/21-07-2005	1161/28-11-2011
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दनोरा (बैतूल)	1604/28-02-2009	1161/28-11-2011
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेलगांव	1539/13-09-2006	1161/28-11-2011
8.	नेशनल ब्रिक्स एण्ड टाईल्स सहकारी संस्था मर्या., टिगरिया	257/01-04-2008	1161/28-11-2011
9.	शा. उ. मा. वि. सहकारी भंडार मर्या., बैतूल	726/07-08-1962	1161/28-11-2011

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड-स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, ए. एस. सल्लाम, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

(562-A)

ए. एस. सल्लाम,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 3 नवम्बर, 2012

क्र./उरन/विधि/12/777.—सर्वोदय महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्या., मगरधा एवं जय महाकाल बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., कमोद द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक सहकारिता के माध्यम से कोई कारोवार नहीं किया गया एवं उनके द्वारा सहकारिता का पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित में निवेदन किया गया है।

अतः मैं, देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-13-97-पन्द्रह-1-(द्वितीय अनुसूची) (दिनांक 24 अप्रैल, 2002) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 35 सन् 1999) की धारा-60 के अन्तर्गत सर्वोदय महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्या., मगरधा एवं जय महाकाल बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., कमोद को आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ। इन सहकारिता की आस्तियाँ, दायित्वों का विधिवत निराकरण कर कामकाज समेटने के लिये संबंधित सहकारिता विस्तार अधिकारी को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापक
1	2	3
1.	सर्वोदय महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्या., मगरधा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, नरसिंहपुर
2.	जय महाकाल बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., कमोद	सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोटेगांव

यह आदेश आज दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(563)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 नवम्बर, 2012

क्र./उरन/विधि/12/784.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/उरन/परि./653, दिनांक 30 जून, 2003 के द्वारा भू.पू. सैनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर, तहसील एवं जिला नरसिंहपुर पंजीयन क्रमांक 569, दिनांक 14 जुलाई, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी नरसिंहपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था, संस्था को परिसमापन में लाने का कारण संस्था की गतिविधियों का निष्क्रिय होना था.

संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षा की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुनर्जीवित किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एफ-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भू. पू. सैनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर, तहसील व जिला नरसिंहपुर पंजीयन क्रमांक 569 दिनांक 14 जुलाई, 1998 का परिसमापन आदेश क्रमांक 653, दिनांक 30 जून, 2003 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही साथ कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित सदस्यों की प्रबंधकारिणी कमेटी को नामांकित करता हूँ :—

1.	एक्स सिपाही, अशोक कुमार शुक्ला	अध्यक्ष
2.	एक्स हवलदार, राजेन्द्रसिंह बुन्देला	उपाध्यक्ष
3.	एक्स हवलदार, बाई. एस. विन्डवार	सदस्य
4.	एक्स हवलदार इन्द्र कुमार शर्मा	सदस्य
5.	एक्स सी. पी. ओ. डी. आर. रैकवार	सदस्य
6.	एक्स हवलदार, पूरनलाल	सदस्य
7.	एक्स सुरेश कुमार सिसोदिया	सदस्य
8.	श्रीमती हेमलता	सदस्य
9.	श्रीमती मनोरमा	सदस्य
10.	श्रीमती चंद्रकली	सदस्य
11.	श्रीमती उर्मला	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 06 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

देवेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(563-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

नर्मदा परिवहन सह. संस्था मर्या., देवास

प्रस्तावित अध्यक्ष, कृष्णपाल सिंह बलबहादुर सिंह,

म.क्र. 82, A-B रोड बस स्टेण्ड के सामने देवास (सोनकच्छ)

द्वारा : अध्यक्ष/प्रभारी

(पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 28 अगस्त, 2002).

क्र./परि./2012/2472.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 9 (नौ) वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत इस कारण बाताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस वाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय-प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय-प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय-प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

यह कारण बाताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(564)

देवास, दिनांक 17 सितम्बर, 2012

कारण बाताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

समस्त संचालक मंडल,

श्री जी चर्मकार औद्योगिक, सहकारी संस्था मर्या., इकलेरा,

पोस्ट भमोरी, तहसील बागली, जिला देवास।

द्वारा : अध्यक्ष/प्रभारी

(पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 21 दिसम्बर, 1994)।

क्र./परि./2012/2480.—आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 8-10 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत इस कारण बाताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस वाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय-प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय-प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय-प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

यह कारण बाताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

के. एन. त्रिपाठी,

उप-पंजीयक।

(564-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

कारण बाताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,

ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, सीधी (मध्यप्रदेश)

द्वारा : अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड सीधी (मध्यप्रदेश)।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, सीधी का गठन उसके कार्यक्षेत्रान्तर्गत निवासरत् उपभोक्ताओं/सदस्यों को विद्युत प्रदाय करने के

उद्देश्य से वर्ष 1983 में किया गया था. किन्तु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2010 के क्रम में जारी पत्र क्रमांक/एम. पी. ई. आर. सी./डी. (एल एण्ड आर वी)/ 1885, दिनांक 20 जुलाई, 2010 के तारतम्य में विद्युत प्रदाय/वितरण का कार्य मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने से संस्था निष्क्रिय हो गई है.

इस प्रकार संस्था के कार्य करना बन्द कर दिए जाने, मध्यप्रदेश शासन की बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2005 में लिए गए निर्णय कण्डिका क्रमांक-2 तथा तत्सम्बन्ध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक/भूविअ/वि.यो./11/288, दिनांक 28 अप्रैल, 2011 से प्राप्त निर्देश क्रम में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारण से क्यों न ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, सीधी पंजीयन क्रमांक AR/SDH/450, दिनांक 30 मई, 1983 को अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70(1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय. अन्यथा की स्थिति में यह मान कर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओं सूचना-पत्र आज दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

नरेश सिन्हा,

उप-रजिस्ट्रार.

(565)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 02 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1)सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/Q-1.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/107, दिनांक 20 जनवरी, 2012 के द्वारा मुझे निम्न सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. इटारसी	2645/09-01-1998	1013/04-07-2009
2.	शास. कन्या शाला प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या., इटारसी	2019/17-07-1969	844/11-06-2003
3.	शीतल महिला साख सहकारी समिति मर्या. इटारसी	2730/09-03-2001	1012/04-07-2009
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिवनी मालवा	2394/07-08-1992	1033/07-08-2010
5.	माँ वैष्णव देवी रेत खदान सह. समि. सिवनी मालवा	2502/27-10-1995	1033/07-08-2010

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) का उपयोग में लाते हुए मैं, आर. के. दुगाया परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी समितियाँ, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (1)सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि यदि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

आर. के. दुगाया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(566)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012-अग्रहायण 9, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 अगस्त, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, मुरैना (मुरैना), दतिया, भाण्डेर (दतिया), हटा (दमोह), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), खरगौन (खरगौन), लटेरी, बासौदा, नटेरन (विदिशा), सिवनी (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील दमोह, पथरिया (दमोह), बांधवगढ़ (उमरिया), सिंहावल, कुसमी (सीधी), सेगांव, गोगांवा (खरगौन), आष्टा (सीहोर), इटारसी (होशंगाबाद), निवास (मण्डला), बरघाट, कुरई (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अशोकनगर (अशोकनगर), बल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), जैतपुर (शहडोल), सुसनेर, नलखेड़ा, कालापपील (शाजापुर), बड़वाह, कसरावद, भीकनगांव (खरगौन), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), करेली (नरसिंहपुर) शाहपुरा (डिण्डोरी), धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), मुंगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर, पवई (पन्ना), बटियागढ़, जबेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगांवा, रामपुरबघेलान, नागौद, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिहनगर, जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, सीतामऊ, घुन्धड़का, शामगढ़ (मन्दसौर), खाचरोद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, आगर, बड़ोद, शाजापुर, सोण्डवा,

उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुशी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), सीहोर, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर), भैंसदेही, घोडाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बाबई, वनखेड़ी, पचमढी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), गाडरवारा, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) डिण्डोरी (डिण्डोरी), बिछुआ (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, घंसौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(इ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक. — तहसील शाहनगर (पन्ना), उचेहरा (सतना), संजीत (मंदसौर), नीमच (नीमच), जोवट, अलीराजपुर (अलीराजपुर), विजयराघवगढ़ (कटनी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, सोंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(फ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक. — तहसील जावद, मनासा (नीमच), भामरा, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, दमोह, शहडोल, उमरिया, सीधी, शाजापुर, खरगौन, जबलपुर, मण्डला, सिवनी में जुताई का कार्य व ग्वालियर, दमोह, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, कटनी, डिण्डोरी में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में फसल जगनी व सिवनी, कोदों-कुटकी, रामतिल व ग्वालियर, दमोह, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, मण्डला व सीधी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—जिला अशोकनगर में फसलों पर कहीं-कहीं इल्ली का प्रकोप है।

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सतना, शहडोल, सीधी, झाबुआ, विदिशा, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15 अगस्त, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	11.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	13.0				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	188.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	228.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	90.5				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	63.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	146.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	88.0				
4. घाटीगांव	55.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	1.0		(2) ..		
3. भाण्डेर	8.0				
*जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पिछोर	..		(2) ..		
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. इल्ली का प्रकोप.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	59.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	116.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	42.0				
4. चन्देरी	119.0				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	191.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मोहनगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पृथ्वीपुर	95.0				
4. जतारा	75.0				
5. खरगापुर	..				
6. टीकमगढ़	102.0				
7. बल्देवगढ़	49.0				
8. पलेरा	89.0				
9. लिधोरा	..				
10. ओरछा	35.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	53.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	74.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	115.4				
4. छतरपुर	58.4				
5. राजनगर	88.5				
6. बिजावर	68.0				
7. बड़ामलहरा	78.6				
8. बकस्वाहा	102.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	214.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	46.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	148.0				
4. पवई	144.3				
5. शाहनगर	258.6				
*जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बीना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	9.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	93.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	21.6				
4. पथरिया	33.0				
5. जवेरा	97.0				
6. तेन्दूखेड़ा	218.4				
7. पटेरा	131.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	106.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	77.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	92.0				
4. नागौद	108.0				
5. उचेहरा	248.0				
6. अमरपाटन	106.0				
7. रामनगर	168.0				
8. मैहर	154.0				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. .	3. ..	5.	7. ..
1. त्योंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. शयपुरकर्जुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	63.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	193.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिहनगर	76.0				
4. जैतपुर	68.0				
5. बुढार	44.9				
6. गोहपारू	114.0				
*जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जेतहरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. अनूपपुर	..		(2) ..		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	32.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	110.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	241.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी, धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	67.8				
2. सिंहावल	19.0				
3. मझौली	87.8				
4. कुसमी	24.0				
5. चुरहट	56.0				
6. रामपुरनैकिन	168.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	221.3				
2. भानपुरा	134.9				
3. संजीत	395.0				
4. मल्हारगढ़	217.0				
5. गरोठ	236.6				
6. मन्दासौर	203.0				
7. सीतामऊ	230.2				
8. धुन्धड़का	192.4				
9. शामगढ़	191.4				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	502.0				
2. नीमच	339.8				
3. मनासा	577.0				
*जिला रतलाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	201.0				
2. महिदपुर	89.0				
3. तराना	84.8				
4. घटिया	79.0				
5. उज्जैन	68.0				
6. बड़नगर	79.0				
7. नामदा	180.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	92.0				
2. सुसनेर	35.4				
3. नलखेड़ा	44.0				
4. आगर	182.0				
5. बड़ौद	81.0				
6. शाजापुर	125.6				
7. शुजालपुर	54.0				
8. कालापीपल	38.0				
9. गुलाना	88.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	9.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	5.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	8.8				
4. झाबुआ	8.0				
5. राणापुर	15.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	245.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	290.0		(2) ..		
3. सोण्डवा	157.0				
4. भामरा	462.0				
5. कट्टीवाड़ा	454.4				
6. उदयगढ़	202.6				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	131.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	145.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	126.4				
4. कुक्षी	105.2				
5. मनावर	89.0				
6. धरमपुरी	64.3				
7. गंधवानी	106.0				
8. डही	122.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	36.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	54.1				
4. सेगांव	35.0				
5. करही	..				
6. खरगोन	16.4				
7. गोगांवा	26.0				
8. कसरावद	52.0				
9. मुल्लान	..				
10. भगवानपुरा	66.0				
11. भीकनगांव	40.0				
12. झिरन्या	134.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला फूँ-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	137.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	116.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	85.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	171.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	131.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	85.6				
4. ब्यावरा	147.2				
5. सारंगपुर	55.0				
6. नरसिंहगढ़	62.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	7.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	06.0				
5. नटेरन	3.0				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	39.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	50.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	82.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	20.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	59.0				
4. नसरुल्लागंज	72.0				
5. बुधनी	67.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	94.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	72.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	108.6				
4. चिचोली	83.8				
5. बैतूल	59.5				
6. मुलताई	115.8				
7. आठनेर	58.2				
8. आमला	104.2				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	79.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	75.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	75.0				
4. इटारसी	20.0				
5. सोहागपुर	42.0				
6. पिपरिया	51.2				
7. वनखेड़ी	100.9				
8. पचमढ़ी	182.0				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. डण्डिया	..				
5. विराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	119.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	125.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	188.1				
4. मझौली	149.5				
5. कुण्डम	67.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	216.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	79.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	272.0				
4. बहोरीबंद	82.8				
5. ढीमरखेड़ा	60.0				
6. बरही	126.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	74.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	42.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	67.0				
4. गोटेगांव	89.0				
5. तेन्दूखेड़ा	62.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	31.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	105.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	62.9				
4. मण्डला	171.8				
5. घुघरी	76.8				
6. नारायणगंज	77.2				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	98.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	43.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	324.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	411.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	406.9				
4. जामई (तामिया)	436.2				
5. सोंसर	312.0				
6. पांडुर्णा	255.0				
7. अमरवाड़ा	332.6				
8. चौरई	431.5				
9. बिछुआ	205.6				
10. मोहखेड़ा	348.8				
11. हरई	364.9				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई हेतु जुताई एवं खरीफ फसल कोदों-कुटकी, रामतिल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	13.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	108.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	55.3				
4. बरघाट	24.6				
5. कुरई	18.0				
6. घंसौर	90.0				
7. धनोरा	36.0				
8. छपारा	62.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	54.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	25.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	125.0				
4. वारासिवनी	59.8				
5. कटंगी	8.0				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला शिवपुरी, गुना, सागर, रीवा, अनूपपुर, रतलाम, खण्डवा, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(554)